Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

कुलदीप सिंह पिता लाल सिंह राजपुत वगैरहा — प्रार्थीगण	बनाम	ललसिंह पिता तख्तसिंह राजपुत वगैरहा — विपक्षीगण	
किस्मा मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र		नं0 788	सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
दिनांक 06.08.2024	राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 का बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सैन हाजिर होकर अंतरिम बहस हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार कर अंतरिम बहस करने का आदेश दिया गया, जिस पर अधिवक्ता द्वारा अंतरिम बहस प्रार्थना–पत्र की गई। हमने अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को एक तरफा सुना। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम आटुण प0ह0 आटुण तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 1318 रकबा 2.6934 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है। उक्त वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण का 2/15 हक हिस्सा निहित होकर अपने हक हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग व काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वादग्रस्त आराजियात का अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। किन्तु विपक्षी संख्या 01 अन्य लोगों के बहकावें में आकर उक्त वादग्रस्त आराजियात में निहित 1/5वां हक हिस्से की भूमि को रहन बय–बक्षीस के माध्यम से बिना विभाजन कराये जाने ही अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर, प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा है। इसलिये विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जाना आवश्यक है कि विपक्षीगण कि ग्राम आटुण प0ह0 आटुण तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 1318 रकबा 2.6934 हैक्टयर भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि के उपयोग– उपभोग व काश्त करने पर किसी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करे, भूमि को अन्तरण नहीं करें, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। हमनें वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अवलोकन किया। दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। मनन किया। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। विपक्षीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजी को अन्य को विक्रय/अन्तरण कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर निवेदन को एक तरफा अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम आटुण प0ह0 आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा के आराजी नम्बर 1318 रकबा 2.6934 हैक्टयर भूमि के सम्बन्ध में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विपक्षीगण वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण के कुल 2/15 वां हिस्सा की भूमि के उपयोग–उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करे व न ही किसी अन्य से करावें, प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात से जबरन बेदखल नहीं करें, वादग्रस्त आराजियात के किसी भी भाग को हस्तान्तरित नहीं करे व न अन्य से करावें एवं विपक्षी संख्या 01 उक्त भूमि के अन्तरण बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नहीं करें, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। रजिस्टर्ड ए0डी0 प्रोसेस सम्मन पेश करने पर जारी करें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 09.09.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	

9/9/25. प्रार्थी धर्मेन्द्र कुमार द्वारा आदेश 01 नियम 10 सपठित 07 नियम 11 सी.पी.सी. पेश किया गया जिस पर उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर वादी कुलदीप सिंह द्वारा प्रस्तुत मूल वाद पत्र नं. 707/2024 खारिज किया जा चुका है इस कारण से यह प्रार्थना पत्र में भी आगे कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं रहता है। जिससे प्रार्थना पत्र भी चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण में दिनांक 12/8/2024 को पारित स्थगन आदेश को भी निरस्त किया जाता है पत्रावली कैलाश कुमार को जमा रिकार्ड हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा